


समय पर जगत्

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1501]
No. 1501]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2015/आषाढ 25, 1937
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2015/ASADHA 25, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2015

का.आ. 1924(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956(1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एम्स, नई दिल्ली के संस्थानिक निकाय का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- क. उपधारा 4 (क) के अंतर्गत एक पदेन सदस्य
1. दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, पदेन।
- ख. उप-धारा 4 (ख) के अंतर्गत एक पदेन सदस्य
1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, पदेन।
- ग. उप-धारा 4 (ग) के अंतर्गत एक पदेन सदस्य
1. संस्थान के निदेशक, पदेन।
- घ. उप-धारा 4 (घ) के अंतर्गत दो मनोनीत सदस्य

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए।

2. श्री विनय शील ओबरॉय, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए।

ङ उप-धारा 4 (ङ) के अतर्गत पांच मनोनीत सदस्य

1. श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री।

2. श्री भानू प्रताप शर्मा, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

3. डॉ. एम. के. भान, पूर्व सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

4. डॉ. डी. एस. राणा, अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली।

5. डॉ. (श्रीमती) विजय लक्ष्मी सक्सेना, पूर्व महा सचिव, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन (आईएसीए), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), आईएससीए का प्रतिनिधित्व करते हुए।

च उप-धारा 4 (च) के अतर्गत चार मनोनीत सदस्य

1. प्रो. (डॉ.) राज बहादुर, कुलपति, बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट, पंजाब।

2. प्रो. योगेश चावला, निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़।

3. डॉ. शिव सरीन, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर व बिलियरी साइंसेज, वसंत कुंज, नई दिल्ली।

4. डॉ. एन. गोपालकृष्ण, प्रोफेसर (नेफ्रोलॉजी) मद्रास मेडिकल कॉलेज, चैन्नई।

छ उप-धारा 4 (छ) के अतर्गत तीन निर्वाचित सदस्य

1. श्री रमेश बिधूडी, संसद सदस्य, लोक सभा (पहले से ही अधिसूचित)।

2. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, संसद सदस्य लोक सभा (पहले से ही अधिसूचित)।

3. प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य, राज्य सभा (पहले से ही अधिसूचित)।

2. कार्यकाल और रिक्तियां

सदस्यों का कार्यकाल और रिक्तियां एम्स अधिनियम 1956 की धारा 6 के उपबंधों के द्वारा शासित होंगी।

[फा. सं. वी-16011/1/2015-एमई-1]

अली आर. रिजवी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2015

S.O. 1924(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby re-constitutes the Institute Body of AIIMS, New Delhi consisting of the following members:

A. One ex-officio Member under Sub-section 4(a)

1. The Vice Chancellor of the Delhi University, ex-officio.

